

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग/  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/राजस्व विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल/  
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल/प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित डिस्कॉम।
- 3- निदेशक,  
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2022

विषय :- उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति- 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022" के प्रस्तर-14 के उप प्रस्तर-14.2 के प्राविधान के अनुसार डिपार्टमेन्ट लेबल उच्च स्तरीय समिति (डीएलईसी) का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	-सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	-सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आवास द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	-सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा नामित विशेष सचिव/ सचिव स्तरीय अधिकारी	-सदस्य
प्रबंध निदेशक, यूपीपीटीसीएल	-सदस्य
प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल	-सदस्य
प्रबंध निदेशक, संबंधित डिस्कॉम	-सदस्य
निदेशक, यूपीनेडा	-सदस्य सचिव
विषय विशेषज्ञ या प्रशासनिक कार्य हेतु किसी व्यक्ति/ अधिकारी को अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयुक्त किया	



जा सकता है

उक्त समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार आयोजित की जायेगी।

- 2- यह समिति निम्न दायित्वों का निर्वाहन सुनिश्चित करेगी:-
- 1- सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हो।
  - 2- सौर ऊर्जा नीति के तहत आवंटित 0.5 मे0वा0 से 5 मे0वा0 क्षमता तक की सौर परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान करना।
  - 3- नेट मीटरिंग/नेट बिलिंग से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण।
  - 4- सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पारेषण सुविधा/कनेक्टिविटी की समीक्षा।
  - 5- सोलर सिटी के विकास एवं क्रियान्वयन की समीक्षा।
  - 6- कुसुम-सी (घटक सी-1 एवं सी-2) योजना की समीक्षा।
  - 7- डी0डी0जी0 (डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन) की समीक्षा।
  - 8- सोलर रूफ टॉप योजना की समीक्षा।
- 3-अतः अनुरोध है कि कृपया डिपार्टमेन्ट लेवल उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु उक्त अनुसार अपना प्रतिनिधि/विशेषज्ञ नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(महेश कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0।
- 5- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, संबंधित डिस्कॉम।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 12- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सुनील कुमार चौहान)

अनु सचिव।